

प्रश्न सं. [क. 3525]

परिशिष्ट

विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 3525 श्री रामलाल मालवीय

मध्यप्रदेश शासन

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

मंत्रालय

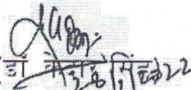
- आदेश -

भोपाल दिनांक 28-01-2022

क्रमांक एफ-3420/(7-1)/2021/29-2 राज्य शासन निम्नलिखित तहसील स्तरीय नापतौल कार्यालय को उनके जिला मुख्यालय स्थित नापतौल कार्यालय में समाहित करना है :-

स.क्र.	तहसील स्तर के निरीक्षक कार्यालय का नाम	जिला मुख्यालय निरीक्षक कार्यालय का नाम
1.	कार्यालय निरीक्षक नापतौल-महेश्वर जिला-खरगोन (म.प्र.)	कार्यालय निरीक्षक नापतौल खरगोन (म.प्र.)
2.	कार्यालय निरीक्षक नापतौल-वडनगर जिला-उज्जैन (म.प्र.)	कार्यालय निरीक्षक नापतौल-उज्जैन (म.प्र.)
3.	कार्यालय निरीक्षक नापतौल-जाबरा जिला-रतलाम (म.प्र.)	कार्यालय निरीक्षक नापतौल-रतलाम (म.प्र.)
4.	कार्यालय निरीक्षक नापतौल-राजगढ़ जिला-धार (म.प्र.)	कार्यालय निरीक्षक नापतौल-धार (म.प्र.)
5.	कार्यालय निरीक्षक नापतौल-नरसिंहगढ़ जिला-राजगढ़ (व्यावरा) (म.प्र.)	कार्यालय निरीक्षक नापतौल-राजगढ़ (व्यावरा) (म.प्र.)
6.	कार्यालय निरीक्षक नापतौल-गंजवामौदा जिला-बिदिशा (म.प्र.)	कार्यालय निरीक्षक नापतौल-बिदिशा (म.प्र.)
7.	कार्यालय निरीक्षक नापतौल-डवरा जिला-ग्वालियर (म.प्र.)	कार्यालय निरीक्षक नापतौल-ग्वालियर (म.प्र.)
8.	कार्यालय निरीक्षक नापतौल-गोहद जिला-भिण्ड (म.प्र.)	कार्यालय निरीक्षक नापतौल-भिण्ड (म.प्र.)

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार।


(डा. के.डी. सिंह)
उपसचिव

खाद्य नागरिक आपूर्ति
एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

निम्न पृष्ठ 02 पर.....

//2//

क्रमांक-255/साजी/ब-1(1)/2021

भोपाल दिनांक-30-01-2022

प्रतिनिधि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल
2. कलेक्टर, जिला-खरगोन/उज्जैन/रतनाम/धार/राजगढ़ (व्यावरा)/विदिशा/खालियर एवं भिण्ड
3. उपनिबंधक नापतोल-भोपाल, खालियर, इन्दौर/महायुक्त नियंत्रक नापतोल-खण्डवा, रतनाम, उज्जैन एवं मुरैना
4. कोषालय अधिकारी विध्यालय भवन भोपाल
5. संबंधित निरीक्षक नापतोल-महेश्वर जिला-खरगोन/बड़नगर जिला-उज्जैन/जावरा जिला-रतनाम/राजगढ़ जिला-धार/नरसिंहगढ़ जिला-राजगढ़ (व्यावरा)/ गंजवामोदा जिला-विदिशा/डवरा जिला-खालियर/मोहद जिला-भिण्ड को ओर प्रेषित कर लेग है कि अशामकीय भवन स्वामी के पट्टा विलेख की शर्त हो तो अशामकीय भवन को खाली करने हेतु नियमानुसार एक माह का नोटिस देकर, अशामकीय भवन को खाली कर, जिला मुख्यालय निरीक्षक कार्यालय में समस्त स्टॉफ सहित कार्यालयीन सामग्री अन्तर्गत कर प्रविष्टि के अखिलम्ब अवगत करायेगा।
6. निरीक्षक नापतोल-खरगोन/उज्जैन/रतनाम/धार/राजगढ़(व्यावरा)/विदिशा/ खालियर एवं भिण्ड
7. संबंधित अशामकीय कार्यालय भवन स्वामी -----
8. निरीक्षक/स्टेनो/भवन शाखा/बजट शाखा/प्रबंधन/सामान्य शाखा/स्टोर्स/लेखा शाखा मुख्यालय भोपाल


नियंत्रक
नाप-तोल म.प्र.
भोपाल


अनुभाग अधिकारी
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं
उपभोक्ता संरक्षण विभाग,
मंत्रालय